प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 50/2024)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' पर परामर्श पत्र जारी करता है

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, भादूविप्रा ने दिनांक 03 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया जिसमें दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 [इसके बाद अंतर्संयोजन विनियमन 2017 कहा गया] शामिल है।

3. भादूविप्रा ने 8 नवंबर 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल [जिसे इसके बाद ऑडिट मैनुअल कहा जाएगा] भी जारी किया।

4. भादूविप्रा का एक मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वातावरण बनाना है। अंतर्संयोजन विनियमन उपभोक्ताओं को सबसे आगे रखते हुए प्रसारकों और वितरकों सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं के विविध हितों को संतुलित करने के लिए तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों के माध्यम से एक विश्वास-आधारित प्रणाली स्थापित करता है। स्वतंत्र लेखापरीक्षा अंतर्संयोजन विनियमों के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इस संबंध में, कुछ हितधारकों ने राय दी है कि अंतर्संयोजन विनियमन 2017 में लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधानों में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है।

5. इसके अतिरिक्त, दिनांक 29 मार्च 2017 को "टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की साझेदारी" पर भादूविप्रा की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, एमआईबी ने बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए, मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और अंतर्संयोजन विनियमन 2017 और ऑडिट मैनुअल में सक्षम प्रावधानों को शामिल करना उचित है।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस परामर्श पत्र में शामिल किए गए व्यापक मुद्दे इस प्रकार हैं:

क. अंतर्संयोजन विनियम 2017 (यथासंशोधित) में ऑडिट से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन
ख. ऑडिट मैनुअल (लेखापरीक्षा नियमावली) में संशोधन
ग. अंतर्संयोजन विनियमन 2017 और ऑडिट मैनुअल में बुनियादी ढांचे की साझेदारी के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाना।

7. हितधारकों से परामर्श पत्र पर दिनांक 06.09.2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रतिटिप्पणी, यदि कोई हो, तो दिनांक 20.09.2024 तक प्रस्तुत की जा सकती है। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, प्रमुखतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 09/08/2024

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा